

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2023/228

हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

पेशी	2023/196 श्री <u>डिरेक्ट निं. 4911</u> श्री <u>उराडुआर को. 7</u>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील जारी हुए
30/7/24	पत्रावली पेश की गई। वकुलाय उपस्थित। अतिनाषक अपीलान्त रेस्पो. नं. 026 रजि. नं. नैगीम पर। किसे जो जाली है। पत्रावली वामने तलमी नैगीम रेस्पो. नं. 02 रजि. नं. (हस्ताक्षर) 18/10/24 के प्रे।	61-3
27/8/24	पत्रावली पेश की गई। वकुलाय उप. या अतिनाषक अपीलान्त रेस्पो. नं. 026 रजि. नं. नैगीम पर। किसे जो जाली है। पत्रावली वामने तलमी नैगीम रेस्पो. नं. 02 रजि. नं. स्पांड 8/10/24 के प्रे।	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
31/10/24	पेश हुई। वकील अपीलान्त एवं रेस्पो. उपस्थित। राजस्व वार संघ / गिला वार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 14/11/25 को पेश हो।	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
14/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त एवं रेस्पो. उपस्थित। राजस्व वार संघ / गिला वार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 17.11.25 को पेश हो।	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
17/11/24	पत्रावली पेश की गई। अतिनाषक अपीलान्त एवं अपीलान्त तथा अतिनाषक रेस्पो. नं. 7। अनुपस्थित। अतिनाषक अपीलान्त एवं अपीलान्त को कई बार कठ-कठ कर मावाजे उलार्डि गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलान्त अस्प हाजरी-अस्प परीन के खारिन की जाली है। पत्रावली फेमलरडुआर होकर नम्बर से 24 है।	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

R-2

अजमेर

न्यायालय के अंतर्गत
अजमेर जिले के अंतर्गत
राजस्थान राज्य



1

529
अज्ञानापुत्रवृत्त
श्रीमती सीता देवी की वती
रिपोर्ट होकर चला है
14/6/23

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अजमेर/आर0टी0एक्ट/अपील संख्या 196/2023 /2023

2023/196

सीतादेवी पुत्री बुधा, जाति रेगर, निवासी छोटी बस्ती, पुष्कर हाल निवासी
अर्जुन नगर माली मौहल्ला, अजमेर तहसील व जिला अजमेर

-वादी-अपीलान्त

बनाम

196/2023
14/6/23

- 314
354
1- मिटूलाल पुत्र बुधा
2- अजयपाल पुत्र बुधा

समस्त जाति रेगर निवासीगण छोटी बस्ती, पुष्कर तहसील व जिला पुष्कर

- 3- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पुष्कर
4- उप-पंजीयक, पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर

-रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955, विरुद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड
अधिकारी, पुष्कर दिनांक 2.6.2023 जो कि प्रकरण
04/2023 बउनवान श्रीमती सीता बनाम मिटूलाल
आदि में पारित किया गया।

श्रीमान्जी,

वादीया-अपीलान्त अपील के संक्षिप्त तथ्य सहित निम्न निवेदन
करती हैं :-

1- यह कि वादीया-अपीलान्त ने एक राजस्व वाद, विद्वान उपखण्ड
अधिकारी, पुष्कर के न्यायालय में विरुद्ध प्रतिवादीगण-रेस्पोंडेंट्स, अन्तर्गत
धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत, इन
कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा पुष्कर में अवस्थित खाता संख्या 12
के आराजी खसरा संख्या 138 रकबा 0.8500 हैक्टर एवं 141 रकबा 1.5100
हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.3600 हैक्टर भूमि (जिसे आगे चलकर
वादग्रस्त भूमि संबोधित किया जायेगा) वादीया-अपीलान्त की पैतृक सम्पति